राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

आदेश
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वर्ष 2018-19 में कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः (i) उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (3) के उपबंध वर्ष 2018-19 के लिए लागू नहीं होंगे, जहां जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरें वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 31.3.2018 तक पुनरीक्षित नहीं की गयी है; और

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दरों के पुनरीक्षण हेतु जिला स्तरीय समितियों की बैठकें इस आदेश द्वारा निलम्बित की जाती है अतः उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (3) के उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू नहीं होंगे।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-192]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

ORDER
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that circumstances require so to do, hereby orders that rates of agriculture, residential and commercial categories of land shall not be revised by the District Level Committee in the year 2018-19.

Explanation: (i) Provisions of sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall not apply for the year 2018-19, where the rates of agriculture, residential and commercial categories of land have not been revised by the District Level Committee upto 31.3.2018 for the year 2017-18; and

(ii) The meetings of the District Level Committees for the revision of rates for the financial year 2018-19 are being suspended by this order therefore the provisions of sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall not apply for the financial year 2019-20.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-192]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government